बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पत्रांक–1 / श्रम वि०स्था० (1) 10–03 / 2016................. / श्र०सं० पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– *श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के उप श्रमायुक्त, लेवल–12 में 1 (एक) पद सृजित करने के सम्बन्ध में।*

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के लिए स्वीकृत पदों की संरचना निम्नवत् है :–

मूल कोटि–	श्रम अधीक्षक	–	70,
प्रथम प्रोन्नति का सोपान–	सहायक श्रमायुक्त	–	13,
द्वितीय प्रोन्नति का सोपान–	उप श्रमायुक्त	–	6,
तृतीय प्रोन्नति का सोपान–	संयुक्त श्रमायुक्त	–	3,
चतुर्थ प्रोन्नति का सोपान–	अपर श्रमायुक्त	–	1

2. श्रम अधीक्षक का पदस्थापन सभी जिला एवं चिह्नित पद पर, सहायक श्रमायुक्त का पदस्थापन सभी प्रमण्डल एवं चिह्नित पद पर, उप श्रमायुक्त का पदस्थापन एक अथवा दो प्रमण्डल को मिलाकर तथा संयुक्त श्रमायुक्त एवं अपर श्रमायुक्त का पदस्थापन मुख्यालय में किया जाता है।

3. विभागीय अधिसूचना सं० 153, दिनांक 31.8.16 द्वारा उप श्रमायुक्त, पटना का क्षेत्राधिकार पटना प्रमण्डल एवं मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भागलपुर का क्षेत्राधिकार भागलपुर व पूर्णियाँ प्रमण्डल एवं मुख्यालय भागलपुर, मुजफ्फरपुर का क्षेत्राधिकार तिरहुत व सारण प्रमण्डल एवं मुख्यालय मुजफ्फरपुर, गया का क्षेत्राधिकार मगध प्रमण्डल एवं मुख्यालय गया, दरभंगा का क्षेत्राधिकार दरभंगा व कोशी प्रमण्डल एवं मुख्यालय दरभंगा तथा मुंगेर का क्षेत्राधिकार मुंगेर प्रमण्डल एवं मुख्यालय बेगूसराय निर्धारित किया गया। विभागीय अधिसूचना सं० 324, दिनांक 31.3.17 द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए उप श्रमायुक्त, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर निर्धारित किया गया तथा बेगूसराय में एक कैंप कार्यालय निर्धारित किया गया, जिसमें सप्ताह के तीन कार्य दिवस वृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार को उप श्रमायुक्त, मुंगेर को उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

4. चूँकि मुंगेर प्रमण्डल का मुख्यालय मुंगेर में है, इस कारण प्रमण्डलीय मुख्यालय में उप श्रमायुक्त का कार्यालय रहना आवश्यक मानते हुये उप श्रमायुक्त के एक पद सृजन को आवश्यक समझा गया।

5. उपरोक्त के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के उप श्रमायुक्त, लेवल–12 में 1 (एक) पद सृजित किया जाता है।

6. पूर्व से सृजित उप श्रमायुक्त, मुंगेर प्रमण्डल के क्षेत्राधिकार में मुंगेर, जमुई, लखीसराय एवं शेखपूरा जिला आयेंगे तथा इसका मुख्यालय मुंगेर में रहेगा। नया सृजित पद बेगूसराय के लिए होगा, जिसके क्षेत्राधिकार में बेगूसराय एवं खगड़िया जिला आयेगा तथा इसका मुख्यालय बेगूसराय में होगा।

7. इस पद के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 10,21,224/- (दस लाख इक्कीस हजार दो सौ चौबीस रुपये मात्र) है। व्यय विवरणी संलग्न है। इसके फलस्वरूप संभावित वित्तीय भार का वहन संबंधित विभागीय बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. उपर्युक्त पद सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-03/2016..3233../ श्र०सं० पटना, दिनांक-23/11/2017

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक 14.11.17 के मद सं० 12 के आलोक में विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्रम सेवा (सामान्य एवं तकनीकी) के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/17
सरकार के अपर सचिव।